न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

नगदी वाद सं0–03 सन् 2021

रमेश चंद्र सिंह................................वादी।

बनाम

पंकज कुमार वो अन्य...............................प्रतिवादीगण।

दिनांक–21.10.2024

उभय पक्ष की ओर से हाजिर है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिनांक 12.06.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि पस्तुत वाद ग्राम कचहरी बारवे के तत्कालिन सरपंच के आदेश दिनांक–08.09.2018 के आलोक में कायम किया जाता है, जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित आदेश है और इस वाद का आधार है। वाद में तत्कालिन सरपंच द्वारा पारित आदेश के सत्यापन हेतु उनका व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में डपसवितक हो कर खुद द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर को सत्यापन करना न्यायहीत में आवश्यक है। ग्राम सरपंच जन प्रतिनिधि होने के नाते बिना समुचित आदेश के न्यायालय में सदेह उपस्थित होने में स्वयं को असमर्थ महसूस करते हैं, परंतु न्यायहित में उनकी गवाही आवश्यक है। अतः निवेदन है कि तत्कालिन सरपंच ग्राम कचहरी बारवे राज कुमार राय वल्द स्व0 रामजी राय, ग्राम–चकजलाल, थाना–दरियापुर, जिला–सारण के पक्ष में दस्ती सम्मन जारी करने का आदेश न्यायहीत में पारित करने की कृपा प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक–07.08.2023 को दाखिल कर कथन है कि वादी की ओर से दाखिल उक्त आवेदन कानूनी पोषणीय नहीं है। वादी, राज कुमार राय का साक्ष्य अपने पक्ष में कराना चाहते हैं तथा राज कुमार राय जन प्रतिनिधि हैं। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक–12.06.2022 कानूनन पोषणीय नहीं है, इसे खारिज की जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी तत्कालिन सरपंच राज कुमार राय का साक्ष्य उक्त वाद में कराने हेतु दस्ती सम्मन जारी करने हेतु आवेदन दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि ग्राम कचहरी बारवे के तत्कालिन सरपंच के आदेश दिनांक–08.09.2018 के आलोक में कायम किया जाता है, जो उनके द्वारा हस्ताक्षरित आदेश है और इस वाद का आधार हैं। अभिलेख अवलोकन से यह भी विदित होता है कि अभिलेख पर सरपंच कार्यालय, बारवे का आदेश दाखिल किया गया है जो उक्त वाद से संबंधित है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन हेतु तत्कालिन चूंकि सरपंच राज कुमार राय ग्राम कचहरी, बारवे एक जन प्रतिनिधि हैं तथा तटस्थ व्यक्ति हैं। ऐसे में उनका साक्ष्य कराना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–12.06.2023 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वे उक्त वाद में साक्ष्य हेतु तत्कालिन सरपंच ग्राम कचहरी, बारवे राज कुमार राय वल्द स्व0 रामजी राय, ग्राम–चकजलाल, थाना–दरियापुर, जिला–सारण के पक्ष में दस्ती सम्मन जारी करें।

वाद दिनांक ....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।